मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1304
22.12.2017 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र में गिरे पेड़ों की गणना

1304. श्री रामस्वरूप शर्मा :
श्री भीमराव बी. पाटील :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के वन क्षेत्रों में किसी भी कारण से गिरे पेड़ों की गणना का कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के विशेषत: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के वन-क्षेत्रों में पड़ी इस प्रकार की अनुपयोगी लकड़ी का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की देश में औषधीय पादपों को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना सहित प्रदान की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास देश के वन क्षेत्रों में किसी भी कारण से गिरने वाले पेड़ों की गणना का कोई प्रावधान/कार्यक्रम नहीं है।

(ख) संबंधित राज्य, अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार, देश के वन क्षेत्रों में विशेष कर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार की अनुपयोग लकड़ी का उपयोग करता है।

(ग) से (ङ.) देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) जिसे वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जलसंभर विकास घटक के रूप में शामिल कर लिया गया है; प्रतिपूरक वनीकरण निधी प्रबंधन तथा आयोजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

देश में जनता की भागीदारी के माध्यम से औषधीय पौधों का रोपण शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) अवक्रमित वनों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में वनीकरण करने तथा पारिस्थितिकी की बहाली करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें इस योजना को एक विकेन्द्रित तंत अर्थात राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन विभाग स्तर पर वन विभाग एजेंसी (एफडीए) तथा ग्रामीण स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया मिशन संबंधी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में राज्यों को 7009.09 लाख रू. एवं 4125.00 लाख रू. की धनराशि जारी की है। राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों में भारत के वन क्षेत्र की सुरक्षा, बहाली, वृद्धि तथा जलवायु अनुकूलता शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एनएपी तथा जीआईएम के अंतर्गत दी गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-I तथा II** में क्रमश: दिया गया है।

****

अनुबंध-I

वन क्षेत्र में गिरे पेड़ों की गणना के संबंध दिनांक 22.12.2017 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1304 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय वनीकरण स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (2014-15 से 2017-18) के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	आंध्र प्रदेश	4.56	0.87	1.33	3.36
2	बिहार	7.00	5.01	2.18	4.23
3	छत्तीसगढ़	20.00	10.20	4.92	8.58
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	10.50	8.54	4.36	0.00
6	हरियाणा	11.00	0.72	3.50	2.71
7	हिमाचल प्रदेश	0.73	0.00	-	1.73
8	जम्मू और कश्मीर	3.59	0.00	-	7.20
9	झारखंड	8.60	0.00	-	0.00
10	कर्नाटक	21.35	1.05	7.33	3.24
1 1	केरल	2.82	1.02	-	0.00
12	मध्य प्रदेश	21.00	9.45	4.00	0.00
13	महाराष्ट्र	35.00	14.90	4.76	6.72
14	ओडिशा	17.92	9.49	4.62	3.49
15	पंजाब	1.87	0.00	-	0.00
16	राजस्थान	3.35	0.75	-	1.40
17	तमिलनाडु	4.25	1.42	1.56	0.00
18	**तेलंगाना**	**2.03**	**0.00**	**-**	**0.00**
19	उत्तर प्रदेश	12.00	2.68	2.55	0.67
20	उत्तराखंड	2.50	3.05	-	0.00
21	पश्चिम बंगाल	0.78	0.00	-	0.00
	कुल (अन्य राज्य)	**190.85**	**69.16**	**41.10**	**43.33**
22	अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.00	-	0.00
23	असम	0.00	2.56	-	0.00
24	मणिपुर	8.00	3.67	1.21	0.00
25	मेघालय	3.61	1.35	-	0.00
26	मिजोरम	15.00	10.17	6.74	4.34
27	नगालैंड	11.00	0.00	5.21	5.85
28	सिक्किम	6.00	1.52	5.09	0.00
29	त्रिपुरा	9.17	5.73	-	4.94
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	**52.93**	**25.00**	**18.25**	**15.13**
	कुल योग	**243.78**	**94.16**	**59.35**	**58.46**

अनुबंध-II

वन क्षेत्र में गिरे पेड़ों की गणना के संबंध दिनांक 22.12.2017 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1304 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रीन इंडिया मिशन के तहत प्रारंभिक गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को जारी धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**
1	आंध्र प्रदेश	-	105.53	-
2	छत्तीसगढ़	2338.55	2023.017	1095.272
3	कर्नाटक	105.53	86.853	-
4	केरल	914.82	-	-
5	मणिपुर	834.84	782.285	641.579
6	मिजोरम	-	988.35	2000.0000
7	ओडिशा	182.92	138.964	140.556
8	पंजाब	611.53	-	-
9	उत्तराखंड	2020.9	-	-
	कुल	**7009.09**	**4125**	**3877.407**

*****